

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(14)वित्त/कर/2020

जयपुर, दिनांक 08.10.2020

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के अधीन अतिरिक्त आयुक्त के पद की वर्ष 2015-16 की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक राजस्थान लोक सेवा आयोग में दिनांक 29.09.2020 में की गई अभिशंका पर श्री पोकरराम जाखड़, उपायुक्त को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, अतिरिक्त आयुक्त के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

वर्ष 2015-16 की चयन सूची में इनका नाम श्री मुरारीलाल गर्ग के नीचे रहेगा। इनके लिए पदोन्नत पद की उपलब्धता तिथि 01.04.2015 है।

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)